

TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY PART-II  
SECTION 3, SUB-SECTION (ii) DATED THE FEBRUARY, 1999

GOVERNMENT OF INDIA  
MINISTRY OF FINANCE  
(Department of Revenue)

New Delhi, dated the 1/2 February, 1999

NOTIFICATION

S.O. (E).- Whereas by notification number S.O.92(E) dated 7th February, 1997, issued under sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had specified at serial number 7 - land development, construction, furnishing, installation of equipments and running of Palliative Care Centre at Pune, Maharashtra, of Cipla Cancer and Aids Foundation, C/o Cipla Limited, Mumbai Central, Mumbai-400080, as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with assessment year 1997-98:

AND WHEREAS by notification no. S.O. 834(E) dated 18th September, 1998, the corpus fund was enhanced from Rs.300.00 lakhs to Rs.500.00 lakhs.

AND WHEREAS the said project or scheme is likely to extend beyond three years;

AND WHEREAS the National Committee, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years;

NOW, THEREFORE, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby specifies the scheme or project of land development, construction, furnishing, installation of equipments and running of Palliative Care Centre at Pune, Maharashtra, which are being carried out by Cipla Cancer and Aids Foundation, C/o Cipla Limited, Mumbai Central, Mumbai-400080, at the estimated cost of rupees seven crores fifteen lakhs as an eligible project or scheme for a further period of three assessment years commencing from assessment year 2000-2001.

( POMELA PRASAD )  
Director (NC)

अतः अब केन्द्रीय सरकार आयकर नियमावली, 1961 [1961 का 43] की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड [ख] के साथ पठित उपधारा [1] द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सिपला कैंसर एण्ड एड्स फाउण्डेशन, मार्फत सिपला लि०, गुम्बई सैन्ट्रल, गुम्बई-400080 द्वारा कलाई जा रही पूणे, महाराष्ट्र में पेलिपेटिव केयर सेंटर के लिए भू विकास, निर्माण, सुसज्जा उपकरणों की स्थापना और उसको चलाने की परियोजना अथवा स्कीम को निर्धारण वर्ष 2000-2001 से आरम्भ होने वाले तीन निर्धारण वर्षों की आगे की अवधि के लिए केवल सात करोड़ पन्द्रह लाख रुपये की अनुमानित लागत पर पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में एतद्वारा विनिर्दिष्ट करती है।

प यश 15  
[पौमेली बी० प्रसाद]

निदेशक [राष्ट्रीय समिति]

सी०-10788

फर० सी० रा० सी०-132/98

भारत के राजपत्र अलाधारण भाग - 11, खण्ड 3, खण्ड 111 में  
दिनांक फरवरी, 1979 को प्रकाशित

भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
राजस्व विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 17 फरवरी, 1979

### अधिसूचना

सां० आ० §अ:- केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम, 1961 §1961 का 93§ की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड §ख§ के साथ पठित उपधारा §1§ द्वारा पदस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय समिति की सिफारिशों पर नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ §2§ में वर्णित कंपनियों को अनुमोदित करती है तथा उपरोक्त सारणी के स्तम्भ §3§ में वर्णित पात्र परियोजनाओं अथवा स्कीमों तथा उनकी अनुमानित लागत को विनोदित करती है तथा उपर्युक्त सारणी के स्तम्भ §4§ में उक्त धारा 35 क ग के अन्तर्गत कटौती के रूप में अनुज्ञात की जानेवाली लागत की अधिकतम रकम को भी विनोदित करती है।

### सारणी

क्रम संख्या	कंपनी का नाम	परियोजना अथवा स्कीम तथा उसकी अनुमानित लागत	धारा 35 क ग के अन्तर्गत कटौती के रूप में अनुज्ञात की जाने वाली लागत की अधिकतम रकम
-------------	--------------	--	---

1	2	3	4
1.	बजाज हिंदुस्तान तेलमिटेड; बजाज भवन, द्वितीय तल, जमनालाल बजाज मार्ग नरिमन प्वाइंट मुम्बई-400021	उत्तरप्रदेश के खेरी जिले के गोलकारनाथ तथा पोल्या क्लॉ में ग्रामीण विकास परियोजनाओं यथा "टीकापुर तालाब, बायो-गैस संयंत्र एवं झोड्या मार्क पम्प सेट लगाना, कालीन बुनाई केन्द्र, भवन चौकस्थी	13.65 लाख रुपये।